सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2011-12

श्रेष्ठ कार्य

पंचायती राज

सत्यमेव जयते

पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2011–12

श्रेष्ठ कार्य

पंचायती राज

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

मंत्रालय की अभिव्यक्ति

पंचायतें समावेशी शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोगों के विशेष कर वंचित लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी को सुलभ बनाती है, सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रियाओं के जरिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित करती हैं और गरीबी उपशमन, स्थानीय अवसंरचना का विकास करने एवं सामाजिक–आर्थिक जरूरतों को पूरा करने हेतु परिस्थिति के अनुकूल योजनाएं तैयार कर सकती हैं। देश भर की पंचायतें लोगों के जीवन के तौर–तरीके में परिवर्तन लाने में सक्षम है। इस दस्तावेज में कतिपय पंचायतों के अच्छे कार्यों का विवरण है एवं यह उदाहरण के साथ हमें स्थानीय पहलों से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों के विषय में बताता है।

इसमें उन पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों का विवरण है जिन्होंने पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस) के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। इन अनुकरणीय एवं प्रेरित पंचायतों ने जीविकोपार्जन के अवसरों को बढ़ाया हैं, दिन में असक्षम बच्चों देखभाल करने हेतु केन्द्रों की स्थापना की है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाइयों की संस्थापना की है, सौर विद्युतीकरण को प्रोत्साहित किया है, उपयोगी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया है, विद्यालयों के परिचालन में सुधार लाया गया है, पूर्ण प्रतिरक्षीकरण को सुनिश्चित किया है, नशाखोरी एवं शराबखोरी को निषिद्ध किया है एवं अनुकरणीय नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिन्होंने निर्णय लेने में लोगों को शामिल किया है, स्वैच्छिक योगदान एवं राजस्व उपार्जित करने के अवसरों का सृजन किया है और अपने प्रबंधकीय कार्यों व प्रक्रियाओं में सुधार लाया गया है।

प्रत्याशा है कि सफलता की इन कहानियों से सभी पंचायतों को ऐसी ही पहले शुरू करने एवं कार्यों को सफलता पूर्वक अंजाम देने में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रेरणा मिलेगी। वर्ष 2012–13 एवं आने वाले वर्षों में हम समय–समय पर समूचे देश के अन्य पंचायतों के उत्कृष्ट कार्यों की और अधिक ऐसी ही प्रेरक सूचनाएं संकलित कर आप तक पहुँचाएंगे।

एल.एम. वास
सचिव, भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली
24 अप्रैल, 2012

1. असम में डिब्रूगढ़ जिला परिषद द्वारा संचालित नगर दुग्ध आपूर्ति स्कीम

डिब्रूगढ़ जिला परिषद ने वर्ष 2003 से बंद पड़ी दुग्ध आपूर्ति स्कीम को उल्लेखनीय सफलता के साथ पुनर्जीवित की है। यह संयंत्र, गरीब मवेशी मालिकों के ग्रामीण स्व–सहायता समूहों को जीविका उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, स्थानीय जनता को उचित मूल्य पर पाश्चरीकृत दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की भी आपूर्ति करता है।

जिला परिषद की अपनी स्वयं की निधियों से द्रुतशीतन संयंत्र, लोहाल की समस्त प्रमुख मशीनरियों का पुनर्नवीकरण तथा कुछ नई मशीनों का संस्थापन कर संयंत्र अक्तूबर, 2009 से प्रचालनरत बनाया गया है। इस संयंत्र के लिए दुग्ध तिनसुकिया के 6 स्व–सहायता समूहों और नाडुआ एवं रोमानी तथा गुइजान के 2 स्व–सहायता समूहों से प्राप्त किया जाता है। नवंबर, 2011 में, इस द्रुतशीतन संयंत्र में 27564 लीटर दुग्ध प्राप्त किया गया तथा यहां से 26245 लीटर दुग्ध, 31.5 किग्रा पनीर और 46 किग्रा क्रीम वितरित किया गया।

2. उत्तराखंड में छरबा ग्राम पंचायत (सहसपुर ब्लॉक, जिला देहरादून) द्वारा नशामुक्ति का सफल अभियान

छरबा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के प्रयासों से छरबा ग्राम पंचायत 3 वर्षों में पूर्ण नशामुक्त पंचायत बन गई है। अब तक जो धन शराब इत्यादि पर व्यय किया जाता था, अब उनके परिवार के सदस्यों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है।

तीन वर्ष पूर्व, ग्रामसभा की बैठकों में आपसी लड़ाई, महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा तथा स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा नशा किए जाने से विक्षुब्ध, सरपंच ने पंचायत के अन्य सदस्यों, युवा समूहों और महिला समूहों के सहयोग से नशामुक्ति अभियान प्रारंभ किया और ग्रामसभा से इसके समर्थन में प्रस्ताव पारित करवाया। सरकारी अभिकरणों तथा स्थानीय मीडिया द्वारा भी ग्राम पंचायत की सराहना की गई।

3. नृसिंहवाडी ग्राम पंचायत (शिरोल ब्लॉक, जिला कोल्हापुर), महाराष्ट्र द्वारा ग्रामीण पर्यटन हेतु अवसंरचना का सृजन

नृसिंहवाडी, जिसे नरसोबाची वाडी के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थयात्रा स्थल के रुप में प्रसिद्ध है। दत्तगुरु के अनुयायी यहां तीर्थयात्रा के लिए आते हैं तथा यह स्थल पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ पावन भी माना जाता है। इस ग्राम में श्री दत्तगुरु महाराज का एक मंदिर विद्यमान है तथा यहां कृष्णा और पंचगंगा नदियों का पावन संगम भी होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और मध्य भारत के अन्य स्थानों के तीर्थयात्री पुराने समय से इस ग्राम की तीर्थयात्रा पर आते रहे हैं। बृहस्पतिवार, रविवार और दत्तगुरु जयंती के दिन तीर्थयात्रा के लिए विशेष लोकप्रिय हैं तथा इन दिवसों को भारी संख्या में श्रद्धालुजन जमा होते हैं।

तीर्थयात्रियों और ट्रैफिक के भारी आप्रवाह के कारण पहले ही से घने बसे इस ग्राम में पार्किंग, पेयजल, सफाई और स्वच्छता की समस्याएं पैदा हो गई हैं। लोक परिवहन व्यवस्था के अभाव में तीर्थयात्री भारी संख्या में अपने वाहन लाने को बाध्य हुए हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ने तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल एवं सफाई हेतु आवश्यक अवसंरचना सहित एक पार्किंग सुविधा सृजित और नियमित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। पार्किंग स्थल बनाए जाने हेतु ग्राम पंचायत की दो एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई तथा आवश्यक अवसंरचना के सृजन हेतु पर्यटन विभाग से 20 लाख रू. की राशि प्राप्त की गई। परियोजना की योजना तैयार करने और उसको कार्यान्वित करने हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों की एक समिति गठित की गई। इस समिति द्वारा पार्किंग की दरों का निर्णय किया गया तथा शुरूआत में पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्था के लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किए गए। ग्राम पंचायत अब पार्किंग के लिए 20 रू. प्रति कार, 50 रू. प्रति मिनी बस और 100 रू. प्रति लग्जरी बस बतौर पार्किंग शुल्क वसूल करती है तथा पार्किंग स्थल और अन्य अवसंरचनाओं की व्यवस्था के लिए 10 व्यक्ति नियुक्त हैं। ग्राम पंचायत प्रतिदिन लगभग 2500–3000 रू. और वर्ष भर में पार्किंग शुल्क के रूप में 12–15 रू. लाख वसूल करती है। यह राशि अवसंरचना के प्रबंधन तथा अनुरक्षण के लिए पर्याप्त है तथा अतिरिक्त राजस्व भी सृजित होता है। सुविधाओं के सुधार और बेहतर संगठित अवसंरचना के चलते यहां मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि हुई है तथा ग्राम के दुकानदारों/व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

ग्राम पंचायत का अब तीर्थयात्रियों के लिए रात्रि आवास और भविष्य में छतदार पार्किंग स्थल बनाने का इरादा है।

4. महाराष्ट्र में आनंदवन ग्राम पंचायत (वारोरा ब्लॉक, जिला चंद्रपुर) द्वारा सामुदायिक जीवनशैली के माध्यम से ग्राम का एकीकृत विकास

आनंदवन ग्राम पंचायत कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों, निर्धन पुरूषों तथा महिलाओं, वयोवृद्धों और अनाथों के लिए गांव में एक दूसरा घर है। ग्राम पंचायत एक विस्तारित या संयुक्त परिवार की तरह है, चूंकि ग्राम का हर व्यक्ति ग्राम स्तर पर गठित समिति का अंग है। समिति ग्राम की तकरीबन संपूर्ण 450 एकड़ भूमि की स्वामी है, जिसमें आवास और कृषि भूमि शामिल है तथा सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देती है। कृषि उपज में पूरा ग्राम हिस्सेदार होता है। समिति ने सभी आश्रितों की आवास, वस्त्र, खाद्य, चिकित्सा सहायता इत्यादि की जिम्मेदारी संभाल रखी है।

यह ग्राम पंचायत कृषि, मत्स्यपालन, बागबानी, वानिकी, डेरी, कुक्कुट पालन, पौधशाला विकास, जल संचय अवसंरचनाओं, टंकियों, बायोगैस इकाइयों, रीचार्ज सुविधाओं सहित बोरवेल्स इत्यादि के विकास हेतु परीक्षणों और उनके भिन्न माडलों हेतु एक आदर्श मंच बन चुकी है। यह पंचायत आत्मनिर्भर है तथा यहां सभी सुविधाएं जैसेकि बैंक, डाकघर, स्वास्थ्य देखभाल इकाई, उपज की बिक्री हेतु मंडी, दैनिक आवश्यकताओं के लिए बाजार, प्रशिक्षण सुविधाएं, स्कूल (प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक), पुस्तकालय, संगीत समूह, सांस्कृतिक समूह और व्यावसायिक प्रशिक्षण–सह–उत्पादन के विकल्पों तथा मार्गों सहित महाविद्यालय मौजूद हैं।

5. महाराष्ट्र में भिवंडी पंचायत समिति (जिला थाना) द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अन्य श्रेष्ठ पद्धतियों का अंगीकरण

श्रेष्ठ कार्य 1: भिवंडी पंचायत समिति ने बेहतर सीखने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर आभासी (वर्चुअल) कक्षागृह प्रारंभ किए हैं। आदर्श इकाइयों तथा स्टूडियोज (आभासी कक्षागृह) की स्थापना जिला और ब्लॉक स्तर के स्कूलों में की गई है। ग्रामीण और जनजातीय छात्रों को अच्छा प्रभावन प्राप्त हो रहा है तथा उनकी सीखने की योग्यताओं में प्रत्यक्ष सुधार एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता और वैज्ञानिक स्वभाव इत्यादि के संबंध में सामान्य जागरूकता देखी जा सकती है।

श्रेष्ठ कार्य 2: ब्लॉक पंचायत ने स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य कार्यालयों में स्टाफ की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जैवमितीय (बायोमेट्रिक) उपस्थिति प्रणाली अपनाई है। पहले उपस्थिति उपस्थिति–पंजिकाओं में अंकित की जाती थी, जिनमें देर से आने एवं दूसरों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने संबंधी अनियमितताएं देखी जा सकती थी। जैवमितीय उपस्थिति प्रणाली अपनाने से पहले, क्षेत्र स्टाफ की वास्तविक समस्याएं भी संबोधित की गई थीं।

श्रेष्ठ कार्य 3: पंचायत समिति ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षित कर जनन और बाल स्वास्थ्य की देखभाल के प्रोत्साहन हेतु विशेष प्रयास किए हैं। इस संबंध में उनको गर्भकाल के दौरान और प्रसव के पश्चात देखभाल का महत्व समझाया गया, जिसमें समय पर अनिवार्य जांच (हीमोग्लोबीन, रक्त, मूत्र, कद, वजन), रक्ताल्पता, जननी और शिशु मृत्यु की रोकथाम, संदर्भ सेवाएं 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव इत्यादि शामिल हैं। इस प्रयास से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) तथा मातृत्वकाल मृत्यु दर (एमएमआर) में कमी आई है तथा संस्थागत प्रसव संख्या में वृद्धि होने के अतिरिक्त पंचायत समिति क्षेत्र में प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता पैदा हुई है।

श्रेष्ठ कार्य 4: पंचायत समिति ने चिकन और मटन दुकानों तथा पशुशालाओं पर कर लागू कर अपना कर आधार बढ़ाने और वसूल करने हेतु प्रयास किए हैं। भिवंडी पंचायत समिति क्षेत्र में लगभग 300 पुरानी पशुशालाएं और लगभग 200 पंजीकृत चिकन एवं मटन स्टाल हैं। वसूल किए गए कर का उपयोग डेरी किसानों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के विकास हेतु किया जाता है। पंचायत समिति किसानों को नियत शुल्क भुगतान पर पशु चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करती है। सेवा

प्रभार पंचायत समिति निधि में जमा किए जाते हैं और इस राशि का उपयोग पशु चिकित्सा अस्पताल भवन की मरम्मत, जीवन रक्षक औषधियों, पशु चिकित्सा डिस्पेंसरियों को मशीनरी एवं उपस्कर की आपूर्ति, कम्प्यूटरों एवं कुछ अभिनव स्कीमों के लिए किया जाता है।

श्रेष्ठ कार्य 5: पंचायत समिति ने टीम भावना मजबूत करने के लिए समस्त स्टाफ के लिए पोशाक संहिता लागू की है। पोशाक संहिता से स्टाफ सदस्यों और अधिकारियों में समानता और एकता की भावना उत्पन्न हुई है। आगंतुकगण और लोक प्रतिनिधि द्वारा पोशाक संहिता की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है।

6. महाराष्ट्र में कोर्ची पंचायत समिति (जिला गढ़चिरौली) द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

कोर्ची पंचायत समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सिंचाई कूपों का निर्माण प्रारंभ किया है। सिंचाई कूपों से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को आय का साधन, किसानों को वृक्षारोपण एवं कृषि के लिए जल उपलब्ध होता है। पंचायत समिति ने वनराय बंधारा (बंध) के माध्यम से वर्षा जल संचयन के लिए भी उत्तम प्रयास किया है। वनराय बंधारा अथवा बंधों का निर्माण छोटी नदी या जलधारा पर स्थानीय रूप से उपलब्ध मृदा या बालू भरे बोरों द्वारा किया जाता है। इन बोरों को सीलबंद कर जल अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह जल एकत्रित करने के लिए जल मार्ग पर एक अस्थायी संरचना के रूप में काम करता है। इससे जल–प्रवाह का वेग कम होता है तथा जल अधिक मात्रा में स्रवित होकर भूमि के अंदर पहुंचता है। इससे नदी तल के नीचे जलभंडार में जल की मात्रा बढ़ती है और इसके द्वारा आसपास के क्षेत्र में भू–जल स्तर में वृद्धि होती है। सामान्यतः वनराय बांधरा का निर्माण मानसून के अंत में किया जाता है तथा अगले मानसून सत्र तक विद्यमान रहता है।

7. केरल में चेरपु ब्लॉक पंचायत (जिला त्रिशुर) द्वारा अलग तरह के विकलांग बच्चों के लिए दिवस–देखभाल केंद्र और कपड़े धोने की सेवा

श्रेष्ठ कार्य 1: शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के माता पिता को दिन के समय, जब वे काम करने जाते हैं, बच्चे के लिए देखभाल केंद्र की तलाश में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ही विकल्प था, या तो माता–पिता में से एक काम पर न जाए या बच्चे को घर में अकेला छोड़ा जाए, कभी–कभी तो एक कमरे में बंद करके। वास्तविकता यह है, कि एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है कि एक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को उसके माता–पिता के बाहर जाने पर एक कुत्ते के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इस परियोजना को अपनाने और लागू करने के लिए यह परिस्थिति/प्रेरणा कारक रहा। बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के सहयोग से ब्लॉक पंचायत ने 15 साल से कम उम्र के विकलांग बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया और ऐसे 30 बच्चों की पहचान की तथा एक दिवस–देखभाल केंद्र शुरू करने की योजना बनाई। एक इमारत का निर्माण किया गया और सुबह में बच्चों को उनके घर से लाने और शाम को उन्हें वापस पहुँचाने के लिए किराए पर एक परिवहन सुविधा की व्यवस्था की गई। परियोजना सितंबर 2010 में शुरू कर दी गई। वर्तमान में केंद्र की ओर से ऐसे 22 बच्चों की सेवा की जा रही है। एक प्रशिक्षित शिक्षक और एक सहायक केंद्र के प्रभारी हैं और पंचायत द्वारा उन्हें पौष्टिक भोजन, मासिक चिकित्सा जांच और दवाइयों सहित मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विकलांग बच्चे और उनके माता पिता इस परियोजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। बच्चों में सकारात्मक शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास आया है। उदाहरण के लिए, एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा केन्द्र की सेवाओं की वजह से चलने में सक्षम हुआ है। ऐसे बच्चों के माता–पिता ने बिना किसी डर के काम पर या अन्य कार्यों के लिए जाना शुरू कर दिया है।

श्रेष्ठ कार्य 2: ब्लॉक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों से चयनित महिलाओं के लिए उचित आय के साथ नियमित रूप से रोजगार की पेशकश करने के उद्देश्य से, एक यंत्रीकृत कपड़े धोने की इकाई की स्थापना की गई। 13 लाख रुपये के निवेश के साथ इस इकाई को फरवरी 2011 में शुरू किया गया। परियोजना के तहत आवश्यक स्थान के साथ एक पक्की इमारत का निर्माण किया गया और पानी एवं बिजली, कपड़ों को सुखाने के लिए खुली जगह आदि के लिए प्रबंध किए गए। कपड़ों के संग्रह और वितरण के लिए, एक ऑटो वैन खरीदी गई और एक लाभार्थी को वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। लाभार्थियों को कपड़े धोने की मशीन के संचालन और एक व्यवस्थित तरीके से अपने काम को आयोजित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण मिला है, जिससे उनके आत्मविश्वास के स्तर तथा उनकी आय में वृद्धि करने में मदद मिली है। यह भी देखा गया है कि उन के बीच एक सामूहिक भावना उत्पन्न हुई है।

8. केरल में कासरगोड जिला पंचायत द्वारा इंडोसल्फन पीड़ितों और एचआईवी के साथ जी रहे व्यक्तियों के मुख्य धारा में पुनर्वास के लिए संसाधनों का संग्रह (पूलिंग)

कासरगोड जिला एक हानिकारक और विश्व स्तर पर प्रतिबंधित लेकिन सस्ते कीटनाशक, इंडोसल्फन के हवाई छिड़काव, से बुरी तरह प्रभावित है। नवजात शिशुओं सहित, मानसिक और शारीरिक विकलांगता/विकृति वाले व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। ऐसे व्यक्तियों को उचित देखभाल, उपचार और पुनर्वास की जरूरत है। ग्रामीण पुनर्वास योजना (जीपीवाई) के तहत, जिसे विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम – एनपीआरपीडी के रूप में फिर से शुरू किया गया है, इन्हें आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त पाया गया। क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के साथ जिला पंचायत ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। जिला स्तर पर एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है और ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यों का आयोजन किया गया हैं। सर्वेक्षण के माध्यम से नवजात शिशुओं सहित विकलांग व्यक्तियों की पहचान पहला कदम है। एक समन्वयक और एक सहायक के साथ जिला पंचायत में एक एकीकृत पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। विकलांगों को चिकित्सकीय उपचार, कृत्रिम अंग और सुनने के यंत्र जैसे अन्य उपकरण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण, परामर्श आदि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। एक कृत्रिम अंग केन्द्र भी शुरू कर दिया गया है। इस के अलावा, एक प्रारंभिक पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र भी कार्य कर रहा है। अलग प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण भी दिया गया। इस परियोजना को अभिनव रूप से वित्त पोषित किया गया। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और और नगर पालिका की वार्षिक योजना में, विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए अनिवार्य रूप से एक राशि अलग कर दी जाती है। इन पंचायतों, नगर पालिकाओं और गैर सरकारी संगठनों से फंड जमा किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप, अधिकांश विकलांग व्यक्तियों को अच्छा चिकित्सकीय उपचार, देखभाल और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है और वे विभिन्न सामग्रियों के निर्माण में योगदान करते हैं। उनमें आत्म निर्भरता और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है और वे समाज की मुख्यधारा के एक अभिन्न अंग बन गए हैं।

कसारगोड जिला पंचायत ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के विशेष प्रयास भी किए हैं। व्यक्तियों की पहचान को परम गोपनीय रखसे हुए परियोजना को प्रयुक्त (एप्लाइड) त्वचाविज्ञान संस्थान, नेहरू युवा केन्द्र आदि गैर–सरकारी संगठनों के समर्थन के साथ कार्यान्वयन अधिकारी के रूप में सचिव, जिला पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके कार्यों में इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, पीड़ितों को आयुर्वेदिक दवाओं सहित विशेष दवाएं उपलब्ध कराना, प्रभावित व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वच्छ जीवन शैली, रोगों की रोकथाम आदि जागरूकता संबंधी कक्षाओं की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वयंसेवकों के माध्यम से हर महीने पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं को स्व रोजगार के लिए मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विशेष जांच, मासिक परामर्श और मार्गदर्शन एवं बेहतर उपचार के लिए समर्थन प्रदान करना शामिल है। जिला पंचायत इस परियोजना के अंतर्गत गतिविधियों और सेवाओं का विस्तार करना चाहती है।

9. केरल में नेडुम्पना ग्राम पंचायत (मुखाथला ब्लॉक, जिला कोल्लम) में तैयार परिधान विनिर्माण इकाई

ग्राम पंचायत ने कुडुम्बश्री मिशन, ब्लॉक और जिला पंचायतों एवं निजी विपणन एजेंसियों सहित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग में एक यंत्रीकृत तैयार परिधान बनाने की इकाई को बढ़ावा दिया है। ग्राम पंचायत ने अभिनव परियोजना विकसित की है और कुडुम्बश्री मिशन समर्थित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं, मशीनों, उपकरण और चल संपत्ति की स्थापना, ग्रामीण विकास के सिंडीकेट संस्थान और केरल औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम (केआईएनएफआरए) परिधान पार्क, खुदरा विक्रेता द्वारा प्रशिक्षण की पेशकश की गई। परियोजना ने बीपीएल और अनुसूचित जाति के परिवारों की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। ग्राम पंचायत ने वर्ष 2009–10 के दौरान पहले चरण में महिलाओं की पहचान की है और आधुनिक सिलाई, गुणवत्ता जांच आदि में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। वर्ष 2010–11 के दौरान दूसरे चरण में इमारत का निर्माण, मशीनों की स्थापना, फिटिंग और जुड़नार (फिक्सचर) के कार्य किए गए। वर्ष 2011 में उत्पादन और विपणन शुरू हो गया है। उत्पादों में तैयार वस्त्र, वर्दी (गणवेश), सूती कालीन आदि शामिल हैं। प्रमुख विपणन चैनल खुदरा/ग्राहकों की इकाई है और बिक्री 5 चयनित लाभार्थी महिला विक्रेताओं के माध्यम से की जाती है। इकाई ने अपना ब्रांड नाम ''नैपस्टार'' भी विकसित किया है। वर्तमान में, 39 महिलाएं इस इकाई में काम कर रही हैं और 5 अन्य विक्रय में लगी हुई हैं।

10. केरल में चेम्बिलोड ग्राम पंचायत, (एडक्कड ब्लॉक, जिला कन्नूर) में प्लास्टिक पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) इकाई

केरल में, प्लास्टिक थैलियों और इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग बहुत अधिक होता है। प्लास्टिक कचरा पर्यावरण को प्रदूषित करता है और एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। जलाने या मिट्टी में दफनाकर प्लास्टिक का निपटान भी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। एक स्थायी तरीके से इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल जरूरत को ध्यान में रखते हुए, चेम्बिलोड ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक थैलियों के लिए एक पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) परियोजना आरंभ की है। कुडुम्बश्री समूहों के सदस्यों और अन्य लोगों, जिन्हें उचित शुल्क का भुगतान किया जाता है, के माध्यम से प्लास्टिक सामग्री और इसी तरह के उत्पादों को एकत्र किया जाता है। इसके बाद अन्य सामग्री को हटा कर प्लास्टिक को साफ किया जाता है और मूल सामग्री जिससे इसे बनाया गया है के अनुसार, इन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। पुनरावर्तन योग्य मदों को गर्म और हवा बंद मशीनों में पिघलाकर ठोस किया जाता है। इसके बाद ठोस प्लास्टिक के एक भाग को पाउडर बनाया जाता है और एक हिस्सा बेच दिया जाता है। पाउडर प्लास्टिक को आगे पिघलाया जाता है और विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों में ढाला जाता है। मशीनों की मौजूदा क्षमता 8 घंटे की एक पारी में 300 किलोग्राम सामग्री को प्रसंस्कृत करने की है। इकाई में ब्लॉक के अन्य ग्राम पंचायतों के प्लास्टिक कचरे को भी पुनर्चक्रित किया जाता है। इकाई 9 महिलाओं और 2 पुरुषों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है और 6 अन्य व्यक्ति अपशिष्ट संग्रह में लगे हुए हैं। सामग्री के पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) में रोजगार भी उत्पन्न होता है। इस परियोजना की शुरूआत और स्थापना के बाद पंचायत ने इसे 1000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दिया है। प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण ने एडक्कड ब्लॉक पंचायत क्षेत्र को एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाया है, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के माध्यम से 12 व्यक्तियों की आय और आर्थिक सक्रियता में वृद्धि भी हुई है।

11. केरल में मुथोली ग्राम पंचायत (लालम ब्लॉक, जिला कोट्टयम) में एकीकृत दुग्ध उत्पादन परियोजना

केरल में दूध और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन बहुत कम है और इन्हें पड़ोसी राज्यों से आयात किया जाता है। आयातित दूध में कई हानिकारक परिरक्षक शामिल होते हैं। स्कूली बच्चों और आंगनवाड़ियों के बच्चों को पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने के सरकारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध पाने के लिए काफी संघर्ष करना होता है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और डेयरी गतिविधियों में लगे लोगों के साथ एक सामूहिक चर्चा में ग्राम पंचायत द्वारा इस समस्या की समीक्षा की गई और ऐसे कई मुद्दों की पहचान की गई है जो क्षेत्र में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इनमें उत्पादन के उच्च लागत की तुलना में दूध की कीमत का कम होना, पशु खाद्य की उच्च लागत और चारे की अनुपलब्धता आदि शामिल हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, ग्राम पंचायत ने गोश्री नामक एक एकीकृत दुग्ध उत्पादन योजना की परियोजना विकसित और कार्यान्वित की है। लाभार्थियों का चयन किया गया और उचित प्रशिक्षण तथा रियायती दरों पर अच्छी नस्ल की गायें और पशु चारा वितरित किया गया, एवं ग्राम पंचायत द्वारा ऋण सुविधा भी प्रदान की गई। पशु चिकित्सक ने उपचार और निवारक उपायों के लिए नियमित रूप से डेयरी फार्मों का दौरा किया।

परिणाम स्वरूप, कई किसानों ने पशुपालन और कुछ ने डेयरी फार्म शुरू कर दिए। अच्छी गुणवत्ता के दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब, जबकि पशु पालक पर्याप्त आय प्राप्त कर रहे हैं, उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त दूध की उपलब्धता के माध्यम से समुदाय को भी लाभ हुआ है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ने एक एकीकृत धान विकास परियोजना को भी बढ़ावा दिया है। डेयरी फार्म धान की खेती के लिए खाद प्रदान करते हैं।

12. हरियाणा में कुरूक्षेत्र जिला परिषद द्वारा खेल मेला

जिला प्रशासन के साथ समन्वय में जिला परिषद हर साल एक खेल मेले का आयोजन करती है जिससे गांव के युवाओं को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। विजेता उम्मीदवारों को श्रेणी दी जाती है और आगे निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जिससे वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी होने के लाभों के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके बाद, चयनित उम्मीदवार राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। ग्रामीण युवाओं और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को खेल गतिविधियों में शामिल होने के लिए राजी करने में जिला परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

13. हरियाणा में हिसार-I पंचायत समिति (जिला हिसार) द्वारा स्वच्छता पर अनुकरणीय कार्य

हिसार पंचायत समिति ने स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। समिति ने जागरूकता अभियान आयोजित किए हैं और ग्रामीणों के लिए इसका प्रदर्शन किया है कि ठोस कचरे को कैसे एकत्र, अलग, पुनर्चक्रित और गांव के बाहर निपटान किया जाता है और अंत में उससे ग्राम पंचायत के साथ ही अलग–अलग घरों के लिए आय का एक स्रोत प्रदान किया जा सकता है।

14. हरियाणा में ग्राम पंचायत कनौली (हतिन ब्लॉक, जिला पलवल) द्वारा सौर विद्युतीकरण और पीने के पानी की नियमित आपूर्ति

कनौली ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर निर्मित सौर इनवर्टरों और बूस्टर पंप के उपयोग सहित कई अनुकरणीय काम कर रही है। स्थानीय रूप से निर्मित सौर इनवर्टर बिजली की लोड शेडिंग के दौरान ग्रामीणों को बिजली प्रदान करते हैं। इस पहल से स्कूली बच्चों को बेहद लाभ हो रहा है। बूस्टर पंप ग्रामीणों के लिए एक वरदान बन गया है क्योंकि इससे हर घर के लिए साल भर तक पीने के पानी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। ग्राम पंचायत के इन दो कार्यों की ग्रामीणों द्वारा काफी सराहना की गई है।

सरपंच जो अनुसूचित जाति से है जातिगत बाधाओं को पार कर गया है और विकास कार्यों की वजह से उसने न केवल ग्रामीणों से बल्कि पूर्व सरपंच और पूर्व वार्ड सदस्यों से भी प्रशंसा अर्जित की है।

15. हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला परिषद द्वारा बैठक के एजेंडे को बनाने के लिए पूर्व परामर्श

हर आम सभा की बैठक से पहले, कुल्लू जिला परिषद प्रत्येक सदस्य के पास उसके निर्वाचन क्षेत्र के विकास की जरूरत के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रारूप/प्रश्नावली भेजता है। संबंधित सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों से एक सूची बनाता है और प्रश्नावली के जवाब में इसे परिषद जिला को अग्रसारित करता है। जिला परिषद इस पर चर्चा करता है और कार्रवाई के लिए इसे संबंधित विभागों को अग्रसारित करता है। जिला परिषद की बैठक में इन संबंधित विभागों को भी आमंत्रित किया जाता है जहां वे जिला परिषद के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान खोजने में शामिल किए जाते हैं। इस पद्धति से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने, सदस्यों और संबंधित विभागों की वर्द्धित भागीदारी और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बीच अभिसरण से समाधान खोजने में मदद मिलती है।

16. पंजाब में संगरूर पंचायत समिति (जिला संगरूर) द्वारा गरीबों के लिए घरों और सभी गांवों में आरओ जल शोधकों की स्थापना

संगरूर पंचायत समिति द्वारा, पंचायत समिति और आसपास के क्षेत्रों के सपेरों को एक जगह पर लाया गया है और उन्हें पक्की ईंटों और सीमेंट के घर प्रदान किए गए हैं। इन लोगों के लिए विशेष रूप से एक कॉलोनी बनाई गई। बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया गया, विद्यालय के लिए एक शिक्षक नियुक्त है और उसे पंचायत निधि से वेतन दिया जाता है।

पंचायत समिति न केवल बीपीएल और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए भी बल्कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, जो अपने घरों के निर्माण का खर्च नहीं उठा सकते, घरों का निर्माण किया। पंचायत समिति ने इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लाभान्वितों को पंचायत निधि से शौचालय सहित आवास सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, पंचायत समिति के लगभग सभी गांवों में पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ प्रणाली भी स्थापित की गई है।

17. पंजाब में रामपुर मुनरान ग्राम पंचायत (जिला कपूरथला) द्वारा नागरिक सुविधाओं का निर्माण

रामपुर मुनरान ग्राम पंचायत ने, पूरे गांव को शामिल करने के लिए पंचायत निधि से 25 स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। ग्राम पंचायत में सभी नालियों का अच्छी तरह से निर्माण किया गया है ताकि पूरे गांव के अपशिष्ट जल को छप्पर नामक एक मुख्य स्थान के लिए प्रवाहित किया जा सके। एक श्मशान घाट (श्मशान) का निर्माण किया गया है जो चार दीवारों से घिरा हुआ है, एक दाह स्थल, अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था, शव को बारिश से बचाने के लिए दाह स्थल के ऊपर एक छत आदि बनाए गए हैं। एक कब्रिस्तान/समाधि क्षेत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

18. पंजाब में तलवंडी भारत ग्राम पंचायत (जिला गुरदासपुर) द्वारा सार्वजनिक भूमि को छुड़वाना

शामलत (आम/पंचायत) भूमि को छुड़वाना ग्राम पंचायत की एक उपलब्धि है। 22 एकड़ माप की यह भूमि 27 सालों से एक व्यक्ति के अवैध कब्जे में थी लेकिन वर्तमान ग्राम पंचायत द्वारा यह मुक्त करा ली गई। यह भूमि 2,92,750 रु. के शुल्क पर एक साल के लिए पट्टे पर दी गई थी, फिर इस रकम का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया गया था।

19. तमिलनाडु में विद्यालय के लिए संसाधन जुटाना और बीअरहट्टी ग्राम पंचायत (कोह्नूर प्रखंड, जिला नीलगिरी) द्वारा पेंशन स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज

बीअरहट्टी ग्राम पंचायत ने विद्यालयों के विकास में विशेष रुचि ली है। पंचायत ने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यापार समूहों से 2 लाख रु. से ज्यादा की राशि जुटाई है। इस राशि का उपयोग विद्यालयों के लिए बच्चों के अनुकूल फर्नीचर खरीदने के लिए किया गया है।

पंचायत ने पेंशन स्कीम (विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं शारीरिक रुप से विकलांग लोगों के लिए वित्तीय सहायता) के अंतर्गत सभी योग्य व्यक्तियों को शामिल करने के भी लिए गंभीर प्रयास किए हैं और यह पेंशन स्कीम को लागू करने में एक पथ–प्रदर्शक है।

20. तमिलनाडु में ईडापड्डी पंचायत यूनियन (जिला सेलम) द्वारा उपयोगकर्ता समूह का गठन

क्षेत्र में यहां कई उपयोगकर्ता समूह हैं, मुख्यतः ईडापड्डी पंचायत संघ के प्रयासों के कारण एक सक्रिय किसान समूह का गठन वेलरी वेली ग्राम पंचायत क्षेत्र में किया गया है। समूह ने 780 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए नेदुन्कुलम पंचायत से वेली पंचायत तक कावेरी नदी के पानी को पंप करने के लिए एक नवीन सिंचाई संरचना का निर्माण किया। संरचना की रुपरेखा ऐसी बनाई गई है कि यह पानी के समान वितरण को सक्षम कर सके। यह देखा गया है कि फसल पद्धति, निर्वाह अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में बदल गया है। स्थानीय समुदाय का पूरा खाका बदल गया है। उपयोगकर्ता समूह द्वारा उपार्जित सामाजिक पूंजी ने स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है।

21. तमिलनाडु में कारूंगल ग्राम पंचायत (गुजिलियामपराई प्रखंड, जिला डिंडीगुल) द्वारा विद्यालयों में नामांकन अभियान

कारुंगल ग्राम पंचायत, विद्यालय में सभी योग्य विद्यार्थियों को दाखिल करने के लिए विशेष पहल करता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र की शुरुआत में ग्राम पंचायत के सदस्य, शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल में सभी योग्य विद्यार्थियों के दाखिले के महत्व और शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक रैली संचालित करते हैं। ग्राम पंचायत, बीच में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल वापस बुलाने के लिए भी पहल करती है। इन प्रयासों ने नामांकन में पर्याप्त वृद्धि और ड्रॉप आउट में गिरावट आई है।

22. तमिलनाडु में लीपुरम ग्राम पंचायत (अगस्थिस्वरम् प्रखंड, जिला कन्याकुमारी) में जन वितरण प्रणाली और मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण

लीपुरम ग्राम पंचायत का दल, अन्य विकास हस्तक्षेपों में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण (लेखा) पद्धति को दोहराने में सफल रहा है। स्थानीय नेतृत्व से बातचीत सुझाता है कि मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण पद्धति, हालांकि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है, ने उन्हें नागरिकों को सक्रिय रुप से शामिल करने और कार्यकर्ताओं को नागरिकों के प्रति जबावदेह बनाने की सीख और आत्मविश्वास प्रदान किया है। लीपुरम पंचायत ने इस सामाजिक अंकेक्षण सीखने को जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) में दोहराने की कोशिश की। पंचायत ने इस विश्वास के कारण पीडीएस पर ध्यान केन्द्रित किया है कि नागरिकों का शामिल होना, प्रणाली को उत्तरदायी एवं सक्षम बनाकर उन्हें सुदृढ़ बना सकता है। पंचायत ने इस पद्धति को करने के लिए स्थानीय विशेषज्ञों के साथ एक अनुभवी और प्रतिनिधित्व वाले दल का गठन किया है। दल, पंचायत का एक अवकाशप्राप्त सरकारी सेवक, किसी स्थानीय गैर–सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत का प्रेसिडेंट (दल का अध्यक्ष), और जहां पीडीएस दुकान स्थित है वहां के वार्ड सदस्य से बना है। सूचना और आगे की कार्रवाई के लिए सामाजिक अंकेक्षण पद्धति की रिपोर्ट, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को जमा की गई है। सामाजिक अंकेक्षण संचालित करने के अलावा, यह दल नियमित रुप से राशन दुकान का भी दौरा करता है ताकि उनके कार्यों कीं निगरानी कर सके। सामाजिक अंकेक्षण के परिणामों को ग्राम सभा में दर्ज कराया जाता है और नागरिक, सुधार के तरीकों पर अपनी प्रतिपुष्टि देते हैं।

23. कर्नाटक में गुमागोल ग्राम पंचायत (नवालगुंड प्रखंड, जिला धारवाड़) द्वारा प्रभावशाली पारिस्थिकी और स्वच्छता कार्य

ग्राम पंचायत में सभी घरों में अपना शौचालय है और ग्राम पंचायत इसे ''खुले में शौच'' से मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। गुमागोल ग्राम पंचायत के परिसर में एक पर्यावरण के अनुकूल शौचालय निर्मित किया गया है और अपशिष्ट उत्पादों को कम्पोस्ट (मिश्रित खाद) में परिवर्तित किया जाता है और बगीचे में इस्तेमाल किया जाता है। रसोई और मध्याह्न भोजन स्कीम से कचरे को बायो–गैस इकाई में भेजा जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय और ग्राम पंचायत परिसर में एक वर्षा जल संचयन संरचना निर्मित की गयी है। ठोस कचरे को कृमि खाद इकाई में भेजा जाता है। ग्राम पंचायत के दोनों गांवों में सौ प्रतिशत भूमिगत–जल निकासी प्रणाली अपनायी गयी है।

2010–2011 के दौरान, पंचायत ने जैविक खाद इकाई के लिए एक परियोजना शुरू की थी ताकि घरेलू और सामान्य कचरों को संशोधित कर जैव–उर्वरक में परिवर्तित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए, एक वाहन (ऑटो) पहले ही खरीदा जा चुका है और खाद इकाई का निर्माण अंतिम चरण में है। अप्रैल 2012 से इसका काम शुरु करना अपेक्षित है।

24. कर्नाटक में इट्टामाडु ग्राम पंचायत (जिला रामनगर) द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विकास

इट्टामाडु ग्राम पंचायत ने अ.जा और अ.ज.जा. के विकास में विशेष रुचि ली है। पंचायत ने सीएसआर के अंतर्गत व्यापार समूहों से 12 लाख रु. से ज्यादा की राशि जुटाई है। इस धन का उपयोग अ.जा. और अ.ज.जा. के विकास के लिए किया गया है। सीएसआर के सहयोग से विकास गतिविधियां, उन क्षेत्रों में भी व्यावहारिक मॉडल हो सकती है जहां व्यापार में अच्छा–खासा निवेश है।

25. कर्नाटक में मड्डामक्की ग्राम पंचायत (कुंडापुरा प्रखंड, जिला उड्डुपी) द्वारा स्वैच्छिक योगदान की लामबंदी

मड्डामक्की ग्राम पंचायत, पंचायत सामुदायिक हॉल के लिए फर्नीचर और बिजली उपकरणों की खरीद, स्कूल परिसर के दीवार का निर्माण और सड़क पर प्रकाश के लिए सीएफएल लैंप सहित स्थानीय विकास के लिए लोगों से स्वैच्छिक योगदान जुटाने में सफल हुआ है।

26. कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिला परिषद् द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान पर अनुकरणीय काम

दक्षिण जिला परिषद्, जो जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का समन्वय करता है, ने जिले में संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया है। परिणामस्वरुप, जिला परिषद् और जिले की सभी ग्राम पंचायतों ने निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त किया। महिलाओं के दलों का सुदृढ़ीकरण, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तिकरण, कुष्ठ निवारण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टॉफ के माध्यम से एचआईवी के प्रति जागरुकता, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह सदस्य और गैर–सरकारी संगठनों तथा एचआईवी प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देख–भाल कार्यक्रमों के लिए जिला परिषद् ने लोगों के लिए विविध जागरुकता कार्यक्रमों का भी संचालन किया है। अन्य राज्यों से निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायतों के अधिकारियों ने जिले में उनके संपूर्ण स्वच्छता को बढ़ावा देने में अनुभवों से सीखने के लिए दक्षिण कन्नड़ जिला परिषद् का दौरा किया है।

27. पंजाब में अक्लियन कलां ग्राम पंचायत (भटिंडा जिला) द्वारा गुरूद्वारे और मंदिर से सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से ग्राम सभा की लामबंदी

श्रेष्ठ कार्य 1: अक्लियन कलां ग्राम पंचायत, नियमित रुप से ग्राम सभा का आयोजन करती है। गांव वालों को बैठकों की सार्वजनिक सूचना, गुरुद्वारा और मंदिर से की जाने वाली घोषणाओं के माध्यम से दी जाती है और ग्राम सभा में लोगों की अच्छी भागीदारी होती है।

श्रेष्ठ कार्य 2: ग्राम पंचायत में एक अच्छे रख–रखाव वाली भूमिगत सीवरेज प्रणाली है। अपशिष्ट जल या गंदा पानी एक स्थान पर जमा होता है, उस स्थान को छाप्पड़ कहते हैं, जिसकी सफाई प्रत्येक सप्ताह होती है। छाप्पड़ को मछली पालन के लिए पट्टे पर भी दिया जाता है।

श्रेष्ठ कार्य 3: भटिंडा में उपलब्ध जल में अति रेडियोधर्मिता है। इसलिए, ग्राम पंचायत ने गांव में लोगों को साफ पेय जल आपूर्ति करने के लिए आरओ प्रणाली स्थापित की है। ग्रामवासियों से प्रति कनस्तर दो रुपया शुल्क वसूला जाता है और संग्रहित राशि को क्षेत्र के विकास कार्यों में लगाया जाता है।

28. पंजाब में भैनी जस्सा ग्राम पंचायत (बरनाला जिला) द्वारा महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण

श्रेष्ठ कार्य 1: भैनी जस्सा ग्राम पंचायत ने गांव की 20 जरुरतमंद महिलाओं को सिलाई और बुनाई प्रशिक्षण प्रदान किया है और साथ ही उन्हें मुफ्त सिलाई मशीन भी दी है। इस प्रयास के कारण, इन महिलाओं के पास आय का स्रोत है और इनमें ज्यादा आत्म–विश्वास है।

श्रेष्ठ कार्य 2: ग्राम पंचायत ने गांव से सभी शराब विक्रेताओं को भी हटा दिया है और ग्रामवासियों को व्यसन के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया है।

29. पंजाब में कुतुब ग्राम पंचायत (बरनाला जिला) द्वारा पेय जल आपूर्ति

कुतुब जिला ऊंचाई पर स्थित है और यहां जल आपूर्ति मुश्किल है। अतः, ग्राम पंचायत ने नौ पानी के टैंक निर्मित किए हैं। प्रत्येक टैंक, 15 घरों को जल की आपूर्ति करता है और अब सभी घरों को नियमित पानी आपूर्ति की जाती है। ग्राम पंचायत ने एक श्मशान भूमि भी निर्मित किया है जो गांव के सभी जाति वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। साझा श्मशान भूमि ने, गांव के लोगों में सामाजिक सद्भाव विकसित करने में मदद की है। ग्राम पंचायत ने गरीबों को सार्वजनिक योगदान के माध्यम से घर बनाने में मदद की है और एक व्यायामशाला का भी निर्माण किया है।

30. छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला पंचायत सहस्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है

जिला पंचायत सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। एमडीजी प्राप्त करने के लिए, जिला परिषद् द्वारा सात सेक्टरों पर फोकस करते हुए एक जिला विज़न तैयार किया गया ताकि विकास के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इस जिला विजनिंग पद्धति ने विकेन्द्रित नियोजन को सुधारा है। जिला में 2009–10 में 4350 आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्युसी) थे और 2010–11 में सरकार द्वारा 804 नए आंगनवाड़ी केंद्र मंजूर किए गए। जिला पंचायत के हस्तक्षेप से, कई उप–स्वास्थ्य केन्द्रों (एसएचसी) को कार्यशील बनाया जा सका। जिला पंचायत ने सभी समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरी तरह से उपकरणों से सुसज्जित एंबुलेंस प्राप्त करने में भी मदद की है। जिला पंचायत क्षेत्र के लोगों की जीविका सुनिश्चित करता है और वर्ष के दौरान जिले से आजीविका के लिए किसी भी विस्थापन की सूचना नहीं दर्ज की गई। एसजीएसवाई कार्यक्रम के माध्यम से, जिले के निम्नवर्गीय लोगों को आय उपार्जन की गतिविधियों जैसे लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण, बकरी पालन, डेयरी आदि को अपनाने में मदद मिलती है।

31. छत्तीगढ़ में लखनपुर जनपद पंचायत (सरगुजा जिला) द्वारा अनुसूचित जनजातियों का विकास

श्रेष्ठ कार्य 1: लखनपुर जनपद पंचायत के प्रयासों से, पहाड़ी कोरवा और पांडों परिवारों को इंदिरा आवास योजना से लाभ मिला है और वे अपना घर प्राप्त कर सके हैं। जनपद पंचायत ने कोरवा और पांड़ो समुदाय के बच्चों के लिए अल्गा गांव (आमापानी) में हॉस्टल बनाने के लिए भी हस्तक्षेप किया है। इसकी क्षमता 50 बच्चों को रखने की है और वर्ष 2010–11 के लिए यह हॉस्टल 100 फीसदी भरा हुआ है। उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से पांड़ो और कोरवा के बीच 9 जोड़ी बैल, 53 उडाई पनका, 88 छिड़काव यंत्र, 15 चेक कटर और 25 लो लिफ्ट पंप वितरित किए गए हैं।

श्रेष्ठ कार्य 2: जनपद, सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा दे रहा है और इसने, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई के साथ–साथ कल्याणकारी कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण भी शुरु किया है। जनपद पंचायत समिति, शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करता है, आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और इसने बैंक तथा डाकघरों के माध्यम से विविध पेंशनों के भुगतान का प्रबंध किया है। जनपद पंचयात, जन वितरण प्रणाली में अनाजों और सामानों की उपलब्धता की नियमित निगरानी करता है।

32. छत्तीसगढ़ में करताला जनपद पंचायत (कोरबा जिला) द्वारा वाटरशेड पर अनुकरणीय कार्य

श्रेष्ठ कार्य 1: वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत, करताला अन्य प्रखंडों के आगे है जहां कई कार्यों जैंर्से बोल्डर चेक, काउंटर ट्रेंच, गुली प्लग और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत काउन्टर बांध, डाबरी/फार्म पोखर, टपकन टैंक और वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत स्टॉप डैम, वनीकरण और बागवानी वृक्षारोपण शुरु किए गए हैं। बोटली ग्राम पंचायत के अनुज नगर में क्रमशः 2.12 लाख और 2.30 लाख रुपये की लागत से दो जलाशयों का निर्माण किया गया था। इन जलाशयों के निर्माण के साथ, इस क्षेत्र के किसानों की कृषि गतिविधियां मॉनसून पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि इन जलाशयों में पूरे साल पानी रहता है। जोगीपाली ग्राम पंचायत में, चेक डैम, नाला मेंड़बंदी और मोड़ का काम वर्षा जल के संरक्षण में मदद कर रहा है। इन प्रयासों के परिणास्वरुप, किसान रब्बी फसल और सब्जियों की खेती कर रहे हैं। वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत कुएं भी खोदे गए हैं ताकि किसानों को सब्जी की फसल के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके।

श्रेष्ठ कार्य 2: जनपद पंचायत ने, प्रखंड में सौ प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है । जनपद पंचायत द्वारा आईईसी (सूचना, शिक्षा और संवाद) अभियान के कारण, संस्थागत कार्यों के लक्ष्य का 93 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है।

33. ससोली ग्राम पंचायत (लुंड्रा प्रखंड, जिला सरगुजा) में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को हटाने के बाद साप्ताहिक हाट बाजार की स्थापना:

सर्वश्रेष्ठ कार्य 1: ग्राम ससोली में गांव तक पहुंचने वाली सड़क के करीब केवल पांच एकड़ सरकारी जमीन है। 2010 में, गांव के कुछ प्रभावशासी लोगों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जमीन पर अतिक्रमण करना शुरु किया। तब ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से इस जमीन को एक साप्ताहिक हाट (बाजार का स्थान) के रुप में विकसित करने का निर्णय लिया। प्रशासन और पुलिस की मदद से ग्रामवासी, अतिक्रमण को हटाने में सफल हुए। पहले, ग्रामवासियों को उत्पाद बेचने और खरीदने के लिए गांव से 6 किमी दूर लुंड्रा जाना पड़ता था। अब, गांव ससोली और इसके चारों तरफ के 14 अन्य गांवों, जिनकी कुल आबादी लगभग 15,000 है, को प्रत्येक वृहस्पतिवार लगने वाले साप्ताहिक बाजार से लाभ मिलता है। इस बाजार के स्थान का उपयोग बसंत पंचमी के दौरान मेला आयोजित करने में भी किया जाता है। ग्राम पंचायत ने विक्रेताओं के लिए एक साल के लिए सभी शुल्क माफ कर दिया था। एक साल बाद, पंचायत ने दो महीनों में 1790 रु. एकत्र किए हैं। भविष्य में पंचायत इस हाट बाजार से और आय उपार्जित करने की आशा रखती है, जिसका उपयोग गांव की बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा।

श्रेष्ठ कार्य 2: ग्राम सभा की अनुसंशा पर, ग्राम पंचायत ने घरों पर कर, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए विलंब शुल्क, पशुओं के लिए आश्रय घरों पर शुल्क, झील के लिए पट्टा शुल्क, साप्ताहिक हाट बाजार पर शुल्क और सेवाओं पर अन्य कर लगाने का निर्णय लिया। दस महीनों में, ग्राम पंचायत ने विभिन्न स्रोतों से 24,635 रु. राजस्व के रुप में संग्रहित किए। पंचायत राजस्व का एक नवीन उपयोग, ग्राम कोतवार के लिए सूचना की साझेदारी के लिए जन संबोधन साधन की खरीद के रुप में था। पहले कोतवार, गांव में 'मुनादी' (घोषणा) करते समय ''ड्रम पीटने'' का पुराना तरीका अपनाया था। चूंकि गांव का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, कोतावर को जोर से चिल्लाना पड़ता था और कई बार, कोतवार द्वारा पहुंचाई जा रही सूचना गांव के लोगों को सुनाई नहीं देती थी। अतः, पंचायत ने अपना एक जन संबोधन साधन खरीदने का निर्णय लिया। अब जन घोषणाएं लोगों तक ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचती हैं। यह साधन, ग्राम सभा और अन्य जन बैठकों को सुविधा पहुंचाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है।

34. छत्तीसगढ़ में उम्रेली ग्राम पंचायत (करतला ब्लॉक, कोरबा जिला) द्वारा उत्कृष्ट नागरिक सेवाएं

उम्रेली ग्राम पंचायत ने नल जल योजना के अंतर्गत 218 पाइप वाले कनेक्शनों के साथ एक पानी के टैंक का निर्माण किया है। पंचायत प्रति कनेक्शन प्रति माह 40 रूपए का शुल्क लेती है और इस प्रकार एक वर्ष में 1,04,640 रूपए प्राप्त करती है। इस कार्यक्रम ने एक स्थानीय मैकेनिक और एक कामगार को रोजगार प्रदान किया है जो प्रत्येक घर में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पंचायत ने पंचायत निधियों से एक जलमल निकासी प्रणाली विकसित की है, 110 मीटर की सीमेन्ट वाली पक्की (सीसी) सड़क का निर्माण किया है और पूरे गांव में सड़क पर प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट) के लिए 50 पोल स्थापित किए हैं। पंचायत ने सात सामुदायिक भवन, हस्तशिल्प भवन, एक झूलाघर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दो मंचों का निर्माण भी किया है।

35. छत्तीसगढ़ में गोविन्दपुर ग्राम पंचायत (कांकेर ब्लॉक, कांकेर जिला) द्वारा युवाओं के बीच लिंग समानता को बढ़ाया जाना और उनमें सामाजिक मूल्यों का पोषण करना

श्रेष्ठ कार्य 1: गोविन्दपुर ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है कि प्रतिवर्ष 50% अर्थात् 6 में से 3 ग्राम सभाओं की अध्यक्षता एक महिला सदस्य द्वारा की जाएगी। किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य मुद्दों के संबंध में शिक्षित किया जाता है और स्वास्थ्यकारी व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा संस्थागत कार्यों कों प्रोत्साहित किया जाता है। इस ग्राम पंचायत की महिलाएं अब इन सुविधाओं को अधिकाधिक प्राप्त कर रही हैं। ग्राम पंचायत ने शराब को बनाने, बेचने और उपभोग करने को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

श्रेष्ठ कार्य 2: ग्राम पंचायत गांव के युवाओं को नियमित शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पंचायत युवाओं में सामाजिक जिम्मेवारी की भावना विकसित करने के लिए युवा क्लबों के सहयोग से सामुदायिक सेवाओं का भी आयोजन करती है। ग्राम पंचायत युवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्हें ग्राम उत्सवों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक सप्ताह पंचायत के कुछेक ग्रामीण जिला स्तरीय रक्त बैंक में रक्तदान करते हैं। अभी तक 500 से अधिक व्यक्तियों ने रक्तदान किया है।

36. छत्तीसगढ़ में तरासगांव ग्राम पंचायत (चरामा ब्लॉक, कांकेर जिला) में सूक्ष्म-नियोजन (माइक्रो-प्लानिंग)

योजना आयोग, भारत सरकार की एकीकृत जिला नियोजन संबंधी नियम–पुस्तिका (मैनुअल), 2009 में एक भविष्यगत आशाओं (विज़न) संबंधी दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया गया है। तरासगांव ग्राम पंचायत में एकीकृत सूक्ष्म–नियोजन प्रक्रियाओं को यूनीसेफ, छत्तीसगढ़ से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र के ज्वाइंट कन्वरजेन्स प्रोग्राम, कांकेर के अंतर्गत प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण सूक्ष्म–नियोजन प्रक्रियाओं के बारे में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक चर्चाओं में, पंचायत सदस्यों द्वारा इस विचार को जोरदार तरीके से स्वीकार किया गया। इस प्रक्रिया को उपलब्ध कराने में सहायक स्थानीय दल के लिए सरपंच और वार्ड पंच ने रहने का स्थान, खाना–पीना तथा अन्य व्यवस्थाएं मुहैया कराईं। प्रारंभ में, एकीकृत ग्रामीण सूक्ष्म–नियोजन के अंतर्गत प्रक्रियाओं के संबंध में एक आम सहमति विकसित करने के लिए पंचायत, सामुदायिक प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के मुख्य कार्यकारी (लाइन) विभाग अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। वार्ड सदस्यों और स्थानीय पंचायत स्तरीय विभागीय अधिकारियों ने 7 विषय–क्षेत्रों से संबंधित समितियों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका...इत्यादि) के अंतर्गत एक संयुक्त दल बनाया। तत्पश्चात्, इस संयुक्त दल ने एकीकृत ग्राम सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रियाओं को पूरा किया। सामाजिक कार्य–कलाप, संसाधन कार्य–कलाप और विभिन्न अन्य मानचित्रण कार्यों सें समुदाय को विद्यमान सामाजिक बस्तियों की स्थिति, विभिन्न प्रकार की उपलब्ध सेवाओं, भू–उपयोग इत्यादि के बारे में विचार बांटने का अवसर प्राप्त हुआ। विशिष्ट समूहों जैसे, महिलाओं, किशोरियों, किसानों के साथ उनके अनुभवों को जानने के लिए छोटी केन्द्रित समूह चर्चाएं आयोजित की गईं। संबंधित ग्राम स्तरीय संस्थाओं से भी संस्थागत आंकड़े एकत्र किए गए। प्राथमिक सूचनाओं के लिए घर–घर संपर्क की प्रक्रिया ने सामाजिक सम्मिलन को सुनिश्चित किया। स्थानीय स्तर पर प्राप्त विभिन्न प्रमुख और गौण आंकड़ों को डिजिटीकृत, समेकित किया गया और स्थानीय नियोजन दल द्वारा प्रत्येक विषय–क्षेत्र के संबंध में एक प्रारूप रिपोर्ट विकसित की गई। तत्पश्चात्, परामर्श और अनुमोदन के लिए प्रारूप रिपोर्टों कों ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। इन नियोजन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप, ग्रामीणों में जागरूकता और उनकी भागीदारी बढ़ी।

37. गंजम जिला परिषद, ओडिशा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली

गंजम जिला परिषद ने मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई अच्छी पहलें की हैं। परियोजना प्रारंभन बैठक (पीआईएम) ऐसी ही एक नवीन पहल है। पीआईएम वाले दिन कार्यकर्ता और अन्य हितधारक परियोजना स्थल पर एकत्र होते हैं और बैठक करते हैं जिसमें परियोजना के विवरणों, जैसे भुगतान की प्रणाली इत्यादि को स्पष्ट किया जाता है। गंजम जिला ने मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों का समाधान करने के लिए एक अद्भुत प्रणाली विकसित की है जिसे शीघ्र प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पॉन्स टीम) का नाम दिया गया है। नेहरू युवा केंद्र ने इस प्रणाली में कार्य करने के लिए 50 स्वयंसेवकों की बाह्य सहायता (आउटसोर्स) ली है। एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त प्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रयोजनार्थ निःशुल्क दूरभाष संख्या 1077 का उपयोग किया गया है। निःशुल्क दूरभाष सेवा पर कॉलों को सुनने के लिए छह स्वयंसेवकों को लगाया गया है और यह सेवा अबाधित रूप से पूर्वाह्न 06.00 बजे से रात्री 9.00 बजे तक कार्य करती है। शिकायतों पर जांच करने के लिए और 24 घंटे के भीतर सिफारिशें करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

38. उड़ीसा में बोडेन ग्राम पंचायत (बोडेन ब्लॉक, नौपाड़ा जिला) में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से आय का सृजन

पचास सक्रिय स्व–सहायता समूह आय सृजन करने वाली गतिविधियों जैसे सब्जियों की खेती, मसाले बनाना, बकरी–पालन, मत्स्य–पालन, बांस के हस्तशिल्प इत्यादि में लगे हैं। ग्राम पंचायतों ने ऋण संपर्कों इत्यादि में इन स्व–सहायता समूहों की मदद की है।

39. पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर ग्राम पंचायत (मेमारी-आई ब्लॉक, बर्दवान जिला) द्वारा क्षयरोग (ट्यूबरक्लोसिस) के उन्मूलन के प्रयास

दुर्गापुर ग्राम पंचायत ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र से क्षयरोग के उन्मूलन के लिए एक विशेष पहल की है। 67 व्यक्ति इस रोग के घातक बैक्टीरिया से पीड़ित पाए गए और उनका उपचार करने के लिए सभी उपाय किए गए। इसके अलावा, नए मामलों की पहचान करने के लिए बार–बार परीक्षण किए जाते हैं।

40. पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिला परिषद द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र

हावड़ा जिला परिषद ने जगतबल्लवपुर में हावड़ा कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की है जो इस जिले में कृषिगत शोध और विकास की जरूरतों को पूरा कर रहा है। कम लागत पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेत स्तर पर प्रदर्शन (डेमॉन्सट्रेशन) किए जाते हैं। किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए 25–35 के बैच आकार में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के अलावा, किसानों को परीक्षण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र में 21 एकड़ बीज–कृषि पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है।

41. पश्चिम बंगाल में पुडुमा ग्राम पंचायत (बीरभूम जिला) द्वारा स्थापित ग्रामीण हाट

पुडुमा ग्राम पंचायत के बसहरी ग्राम में ग्रामीण हाट बनाने का विचार बनाया गया क्योंकि ग्रामीणों को सब्जियां बेचने के लिए बहुत लम्बी दूरी तय करनी पड़ती थी। गांव के कुछ उदार लोग आगे आएं और एक सब्जी हाट के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को भूमि दान की। यह हाट अभी निर्माणाधीन है और जल्दी ही कार्य करने लगेगा।

42. मध्य प्रदेश में सिंघाना ग्राम पंचायत (मणवार ब्लॉक, धार जिला) का सुसज्जित कार्यालय ग्रामवासियों को नाममात्र कीमत पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है

सिंघाना ग्राम पंचायत का कार्यालय कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकोपियर, स्कैनर, कैमरा, फोटो प्रिंटर, फोन टीवी, जल शोधक आदि से सुसज्जित है। इन उपकरणों के कार्यालयी उपयोग के अलावा, ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को नाममात्र कीमत पर सेवाएं भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बाजार दर से चौथाई कीमत पर फोटोग्राफ बनाए जाते हैं। इसी तरह बाजार दर से बहुत कम कीमत पर फोटोकापी की जाती है। इससे न केवल ग्रामवासियों के समय और पैसे की बचत होती है बल्कि ग्राम पंचायत के लिए अतिरिक्त आय भी सृजित होती है। किराए के जन संबोधन साधन की सहायता से घोषणा करने संबंधी नियमित व्यय को बचाने के लिए ग्राम पंचायत ने अपना स्वयं का साधन खरीदा है।

43. मध्य प्रदेश में नादिया ग्राम पंचायत (बदवाहा मंडल, जिला खारगांव) द्वारा स्वच्छता और शिकायत निवारण संबंधी उत्कृष्ट कार्य

नादिया ग्राम पंचायत ने गांव में स्वच्छता संबंधी कार्यों मैं सुधार के लिए अनेक पहलें की हैं। अन्य ग्राम पंचायतों के चयनित प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता इस ग्राम पंचायत को देखने के लिए इसका दौरा करते हैं। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में गैर–जैवअवक्रमित कचरा फेंके जाने को रोकने के लिए प्रत्येक सप्ताह ग्रामवासियों से पालीथीन बैग खरीदती है। संपूर्ण गांव का कचरा जल एक स्थान की ओर प्रवाहित किया जाता है तथा सिंचाई हेतु इसकी बिक्री की जाती है। इस वर्ष इसकी 10,000/– रूपए की विक्री हुई है। यह अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा अतिरिक्त आय अर्जन कराने वाली विशिष्ट पहल है।

ग्राम पंचायत साप्ताहिक चौपाल (खुली बैठक) भी लगाती है जिसमें वार्ड के सदस्य और ग्रामवासी भाग लेते हैं। इन चौपालों में ग्रामवासियों की शिकायतों का निपटान किया जाता है तथा ग्राम पंचायत के कार्य की समीक्षा की जाती है। चूंकि ग्राम सभा की बैठक 2–3 महीने में एक बार होती है इसलिए यह अनौपचारिक साप्ताहिक चौपाल समय पर समस्या का समाधान करने और प्रक्रिया सुधारने में सहायता करता है।

44. मध्य प्रदेश में बंखेडी ग्राम पंचायत (बानखेड़ी ब्लॉक, होशंगाबाद जिला) द्वारा देयों की वसूली

फरवरी 2010 में जब नई ग्राम पंचायत ने कार्यभार संभाला तो पंचायत पर 50 लाख रूपए का बिजली का बकाया देय था। नई ग्राम सभा ने प्रयोक्ताओं से जल प्रभार की वसूली के माध्यम से देयों का भुगतान करने को प्राथमिकता दी। पहले छह महीनों में ग्राम पंचायत वार्ड के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से 22 लाख रूपए एकत्र कर पायी तथा विद्युत आपूर्ति कंपनी को भुगतान किया। ग्राम पंचायत ने वाणिज्यिक परिसर और दुकानों, खोकों आदि से कर वसूलने के प्रयास भी किए। वर्तमान में कर वसूली दर में जल वितरण में लगभग 50% तक तथा वाणिज्यिक कराधान में 90% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। समुन्नत संग्रहण के कारण ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं जैसे जल वितरण, स्वच्छता, सड़क–प्रकाश में भी पर्याप्त सुधार हुआ है।

45. राजस्थान में ग्राम पंचायत सोलाना (चिड़ावा ब्लॉक, जिला झुनझुनु) द्वारा स्थापित नर्सरी

सोलाना ग्राम पंचायत ने एक सामुदायिक नर्सरी की स्थापना की है जिसमें फल और फूल दायक पौधों के अलावा पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होने वाले पौधे भी उगाए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों के बीच बागवानी और वृक्षारोपण में रूचि बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में गांव में काफी हरियाली देखी जा रही है। ग्राम पंचायत की इस पहल से पर्यावरण का संरक्षण करने तथा ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों की आय में बढ़ोतरी होने में सहायता मिली है।

46. राजस्थान में धनरी ग्राम पंचायत (पिंडवाडा ब्लॉक, जिला सिरोही) द्वारा स्वयं की आय में बढ़ोतरी

धनरी ग्राम पंचायत ने अनेक स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन किया है जिससे पंचायत के लिए अतिरिक्त आय सृजित हो रही है। गांव के तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है तथा मत्स्य–पालन हेतु पट्टे पर दिया गया है। कई दुकानें बनाई गई हैं और किराए पर दी गई हैं। इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2010–11 में निजी आय में 25% की वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायत ने 40 बीघा सामान्य चराई भूमि से अतिक्रमण भी हटाया है तथा इस पर वृक्षारोपण किया है।

47. उत्तर प्रदेश में बिकारू ग्राम पंचायत (शिवराजपुर ब्लॉक, जिला कानपुर नगर) द्वारा पुल का निर्माण

बिकारू ग्राम पंचायत ने स्थानीय समुदाय की सहायता से पांडु नदी पर पुल का निर्माण किया है जिससे समीपस्थ शहरी केन्द्र तक का मार्ग छोटा और सुविधाजनक हो गया है। पुल का निर्माण पूर्णतः स्थानीय समुदाय द्वारा वित्त–पोषित था तथा सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। निकटस्थ ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा इस पुल का उपयोग किया जा रहा है तथा यह पंचायत और इसके लोगों के सामूहिक प्रयास का उदाहरण है।

48. उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिला पंचायत द्वारा कुशल राजस्व संग्रहण

जिला पंचायत ने अपनी आय बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं। पिछले वर्षों के देयों का संग्रह करने तथा करों का संग्रह बढ़ाने के प्रयास किए गए। पंचायत के अध्यक्ष ने अधिकांश सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से करों का सुचारू और सामयिक संग्रहण सुनिश्चित किया है। जिला पंचायत के कार्यपालक अधिकारी और स्टाफ ने भी सक्रिय भागीदारी की है। जिला पंचायत का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में अपनी आय 40% तक बढ़ाने का है।

49. उत्तर प्रदेश में खेड़ा अफगान ग्राम पंचायत (नाकुर ब्लॉक, जिला सहारनपुर) द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार कार्य

यह ग्राम आदर्श सूचना, शिक्षा और संचार अभियान का प्रचार है। पंचायत ने लोगों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की सभी स्कीमों के लिए व्यापक प्रचार आरंभ किया है। गांव के साधारण लोग अपनी पात्रता और अधिकारों का दावा करने के समर्थ हैं तथा सभी कल्याण योजनाओं के लिए व्यापक मांग उत्पन्न हुई है।

50. उत्तर प्रदेश में मौधा जनपद पंचायत (जिला हमीरपुर) द्वारा स्लम निवासियों और फेरीवालों का पुनर्वास

ब्लॉक पंचायत के पास इसके कार्यालय के समीप अप्रयुक्त भूमि पड़ी हुई थी जिस पर स्लम निवासियों और फेरीवालों ने लंबे समय से अधिग्रहण किया हुआ था। पंचायत ने अवैध निवासियों को बेदखल करने का निर्णय लिया तथा दो मंजिला बाजार परिसर का निर्माण कराया। फेरीवालों/निवासियों को दुकानें किराए पर लेने के लिए पहली वरीयता दी गई तथा शेष दुकानें अन्य इच्छुक व्यक्तियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ 'पहले आएं, पहले पाएं' के आधार पर किराए पर दी गईं। प्रत्येक किराएदार से जमा राशि ली गई तथा प्रचलित बाजार दर पर किराया भी लिया गया है। बचत खाते में 28.75 लाख रूपये जमा किए गए हैं जिस पर प्रत्येक वर्ष ब्याज मिलता है। किराए की आय भी पंचायत की आय में जुड़ जाती है।

51. सिक्किम में गेरेथांग ग्राम पंचायत (पश्चिम सिक्किम जिला) द्वारा युवाओं का अभिप्रेरण

गेरेथांग ग्राम पंचायत द्वारा की गई एक अग्रणी पहल युवाओं को मान्यता देना तथा अभिप्रेरित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसा मानते हुए गेरेथांग ग्राम पंचायत ने 5000/–रूपए के नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र के साथ ''सर्वोत्तम युवा पुरस्कार'' आरंभ किया है। प्राप्तकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षित हो, स्व–कार्यरत हो तथा उसने प्रशंसनीय सामाजिक कार्य किया हो। चयन समिति में पंचायत का अध्यक्ष, सचिव, स्कूल का एक अध्यापक तथा गैर–सरकारी संस्था का एक सदस्य होता है। इस प्रकार की मान्यता से ग्राम सभा में युवाओं की भागीदारी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। समाज सेवा में युवाओं की सहभागिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्रोत्साहन के साथ–साथ यह पुरस्कार नौजवानों को उनकी आजीविका कमाने तथा उत्पादक बनने का महत्व सीखने में भी सहायता करता है।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत ने जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों के लिए 1200/– रूपए के नकद पुरस्कार के साथ वार्षिक ''मार्ति विद्यार्थी पुरस्कार'' भी आरंभ किया है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने तथा स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की मंशा से इसका आरंभ किया गया है।

52. सिक्किम में अरितर ग्राम पंचायत (जिला पूर्वी सिक्किम) द्वारा महिला सशक्तिकरण

अरितर ग्राम पंचायत ने यह पाया कि कि क्षेत्र का विकास ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से संबद्ध है तथा लघु व्यवसाय उद्यम स्थापित करने तथा संचालित करने के लिए उनके ज्ञान, कौशल और दक्षता में बढ़ोत्तरी करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत ने महिलाओं के लिए बैग निर्माण, फिनैल उत्पादन, तथा अदरक बीज उत्पादन संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अब तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 80% महिलाओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा 50% महिलाएं वित्तीय रूप से आत्म–निर्भर हो गई हैं। महिलाएं अपने उत्पाद बाजार में तथा अदरक के बीज बागवानी विभाग को बेच रही हैं। स्वयं सहायता समूह बनाकर वैयक्तिक उद्यमशीलता के बजाय संयुक्त उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान में अधिकतर सभी वार्डों में लाभोत्पादक स्वयं सहायता समूह प्रचालित हैं। स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित अदरक के बीज ग्राम पंचायत द्वारा खरीदे जाते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों में बांट दिए जाते हैं।

53. अरूणाचल प्रदेश में बोरडुमसा अंचल समिति (बोरडुमसा ब्लॉक, जिला चांगलांग) द्वारा नशाखोरी और शराबखोरी की रोक–थाम

सिंगफो, टेंगसा, खामती आदि समुदायों/जनजातियों के बीच अफीम और शराब प्रचलन में है। काफी समय से, समस्या बढ़ गई थी जब नौजवान पीढ़ी ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स के दुष्प्रभाव वैयक्तिक स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति पर बुरा प्रभाव डाल रही थी। इसी कारण, ड्रग और एल्कोहल के उपयोग को रोकने के लिए बोरडुमसा पंचायत द्वारा पहल की गई। अफीम और ड्रग्स सप्लायरों का पता लगाना और नशेबाजों को नशा–मुक्ति केन्द्रों तक लाना मुख्य क्रिया–कलाप थे। 464 नशेबाजों का उपचार किया गया तथा आपूर्ति श्रृंखला तोड़ दी गई जिससे ड्रग और एल्कोहल के दुष्प्रयोग में पर्याप्त कमी आयी।

54. अरूणाचल प्रदेश में मेंगियों अंचल समिति (मेंगियो ब्लॉक, पापुम पारे जिला) द्वारा सड़क और स्कूली कक्षाओं का निर्माण

मेंगियो, पापुम पारे जिले के दूरस्थ मण्डलों में से एक है। सड़क संपर्क 2004 तक लगभग शून्य था। इसलिए, पंचायत के नेताओं की सहायता से स्थानीय लोगों ने स्थानिक अधिकारियों के साथ सरकार से निधि प्राप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना सड़क का निर्माण करने की स्वेच्छा प्रकट की। इसी प्रकार, स्थानीय अंशदानों से अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण किया गया।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज